an>

title: Regarding various tribal welfare schemes undertaken by Non-Government Organisations.

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (यवतमाल-वाशिम) : अध्यक्ष महोदया, मैं आदिवासी समाज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विÂषय उठाना चाहती हूं। हम लोगों ने कल चाइल्ड लेबर एक्ट बिल को मंजूरी दी, उसी के साथ राइट टू एडुकेशन के बिल को भी पास किया था। आदिवासी मंत्रालय के माध्यम से चलाई जाने वाली योजनाओं में से कुछ योजनाओं को बंद करने का निर्णय किया गया है। हम समाज के सभी लोगों को एक समान रखने और उन्हें अधिकार देने का कानून बनाते हैं या उसको इम्पलीमिन्टेशन करने की सरकार कोशिश करती है और हम आगे बढ़ते हैं। आदिवासी समाज के बच्चे जिन्हें पढ़ा लिखाकर बराबरी पर लाने की कोशिश होती है। आदिवासी मंत्रालय के माध्यम से महाराÂष्ट्र में जो स्कूल चल रहे हैं और जिन्हें अनुदान दिया जाता है उसे बंद किया गया है। गैर-सरकारी संगठन इसे चलाते हैं जिनके पास इफ्रास्ट्रक्चर है, वे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका पूरा पालन-पोÂषण करते हैं। उसके अनुदान को सरकार ने बंद कर दिया है। मेरी मांग है कि जो बच्चे बढ़ लिखकर इस देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। नौकरियों में भी आदिवासी भाई-बहनों को हमने आरक्षण दिया है उसके माध्यम से जब हम नौकरी में उस जगह को भरने का प्रयास करते हैं, जब एडवर्टिजमेंट निकालते हैं तो लोग उस नौकरी के लिए नहीं मिलते हैं। इन बच्चों को पढ़ाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मांग कर ती हूं कि जो स्कूल हमारे महाराष्Âट्र में चलाए जा रहे हैं और जिनका सरकार अनुदान बन्द कर रही है, उसे बन्द न कर के उनका अनुदान भारत सरकार की तरफ से दिया जाना कंटीन्यू रखा जाए, ताकि हमारे यहां के आदिवासी बच्चे पढ़-लिख कर देश के मुख्य प्रवाह में आ सकें। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Shrirang Appa Barne, Dr. Heena Gavit, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava, Shri Rahul Ramesh Shewale, Shri Rajeev Satav, Dr. Manoj Rajoria, Kunear Pushpendra Singh Chandel, Shri Arvind Savant, Shri Rajan Vichare, Shri Sharad Tripathi, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Dilip Gandhi are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Bhavana Pundalikrao Gawali.